



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012026-269018  
CG-DL-E-01012026-269018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5957]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No.5957]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

**का.आ. 6167(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के वाई . एस . आर . (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167K के कि.मी. 250.00 से कि.मी. 267.500 (नंदयाल से जम्मालामडुगु सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, जम्मलामडुगु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या

किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर कडपा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167K के कि.मी. 250.00 से कि.मी. 267.500 (नंदयाल से जम्मालामडुगु सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: वाई एस आर (कडपा)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जम्मालामडुगु					
गांव का नाम: मोरगुडी					
1	31-4B	निजी	ड्राय (पट्टा)	0.08 (एकर)	0.0323756
गांव का नाम: जम्मालामडुगु					
2	121-B	सरकारी	रोड (गवर्नमेंट)	0.04 (एकर)	0.0161878
3	132-3	निजी	ड्राय (पट्टा)	0.03 (एकर)	0.0121408
4	74-1D1A	निजी	ड्राय (पट्टा)	0.04 (एकर)	0.0161878
5	85-1B	निजी	हाउस साइट्स (पट्टा)	0.26 (एकर)	0.1052206
6	85-3	निजी	हाउस साइट्स (पट्टा)	0.04 (एकर)	0.0161878
7	86-1	निजी	हाउस साइट्स (पट्टा)	0.15 (एकर)	0.0607042
8	87-2	निजी	हाउस साइट्स (पट्टा)	0.03 (एकर)	0.0121408

गांव का नाम: कन्नैलुरु					
9	130-3B	निजी	ड्राय (पट्टा)	0.06 (एकर)	0.0242817
10	131-3	सरकारी	रोड (गवर्नमेंट)	0.05 (एकर)	0.0202347
Total					0.3156618

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

**S.O. 6167(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building widening, two/four lane with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.167K in the stretch of land from Km 250.00 to Km 267.500 (Nandyal to Jammalamadugu section) in the district of Y . S . R . (Kadapa) in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **The REVENUE DIVISIONAL OFFICER, Jammalamadugu** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-167K in the stretch of land from Km. 250.00 to Km. 267.500 ( Nandyal to Jammalamadugu Section ) in the district of Y . S . R . Kadapa in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Y . S . R . (Kadapa)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Jammalamadugu</b>					
<b>Village: Moragudi</b>					
1	31-4B	Private	Dry (Patta)	0.08 (Acre)	0.0323756
<b>Village: Jammalamadugu</b>					
2	121-B	Government	Road	0.04 (Acre)	0.0161878
3	132-3	Private	Dry (Patta)	0.03 (Acre)	0.0121408
4	74-1D1A	Private	Dry (Patta)	0.04 (Acre)	0.0161878

5	85-1B	Private	House sites (Patta)	0.26 (Acre )	0.1052206
6	85-3	Private	House sites (Patta)	0.04 (Acre )	0.0161878
7	86-1	Private	House sites (Patta)	0.15 (Acre )	0.0607042
8	87-2	Private	House sites (Patta)	0.03 (Acre )	0.0121408
<b>Village: Kanneluru</b>					
9	130-3B	Private	Dry (Patta)	0.06 (Acre )	0.0242817
10	131-3	Government	Road	0.05 (Acre )	0.0202347
<b>Total</b>					<b>0.3156618</b>

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director